

प्रपत्रक,

हिमांशु कुमार राय भा.प्र.से.  
कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

भेसर्स परमहंस एगो सीड्स,  
(गदरपुर, उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड),  
द्वारा- रौशन कुमार गुप्ता,  
ग्राम- बरकरी करपुरवा, पो0+थाना- सासाराम,  
जिला- रोहतास

विषय :-

बीज बिक्री हेतु नयी बीज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

कारणशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र- 'ए' कोषागार चालान, स्थल जांच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जांच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 62/2017 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित संलग्न सूची के फसल प्रभेदों का ही व्यापार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 07/11/2020 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक- 2408 दिनांक- 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गयी है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0- बीज की सूची एवं प्रपत्र 'बी' संलग्न।

विश्वासभाजन

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक- 08-11-17

संलग्नक :

6680

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनाार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-नेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार पटना।

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

मेसर्स परमहंस एग्री सीड्स द्वारा राज्य में निम्नलिखित फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जायेगा।

पत्रांक- 6680

दिनांक- 08/11/2017

### LIST OF SEEDS

क्र०सं०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	WHEAT	HD 2967, PBW 502, PBW 226, PBW 343, PBW 373, WH 711, PBW 154, PBW 550, WH 1105

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की विक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

*(Handwritten Signature)*  
8.11.17

(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

*(Handwritten Signature)*  
पत्रांक 30



FORM 'B'

(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

License No. 62/2017 Date 08/11/2017

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the license Sri श्री परमहंस एग्रो सीड्स (गदरपुर, उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड) is hereby granted license to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business द्वारा- रौशन कुमार गुप्ता, ग्राम- बरकरी करपुरवा, पो0+थाना- सासाराम, जिला- रोहतास the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
ग्राम- बरकरी करपुरवा, पो0+थाना- सासाराम, जिला- रोहतास	ग्राम- बरकरी करपुरवा, पो0+थाना- सासाराम, जिला- रोहतास
पुरब - जितेन्द्र	पुरब - जितेन्द्र
पश्चिम - अभय सिंह	पश्चिम - अभय सिंह
दक्षिण - रोशन कुमार	दक्षिण - रोशन कुमार
उत्तर - प्रेम सिंह	उत्तर - प्रेम सिंह

Date: 8/11/2017

Seal: 09/11/2017 12/5/2017 - 6680

*[Signature]*  
8-11-17  
Licensing Authority  
Director of Agriculture  
Bihar, Patna

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This license comes into force with immediate effect and shall be valid upto 07/11/2020 Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The license shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

*[Handwritten marks and signatures]*